संख्या-110/2016/783/22-2-2016-17(179)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पाठक पुत्र श्री भोलानाथ पाठक, निवासी जनपद-फैजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13453/पर-3(एम-25-04-2016) दिनांक-04-05-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जयप्रकाश पाठक पुत्र श्री भोलानाथ पाठक, ग्राम-सोनबरसा, थाना-इनायतनगर, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। अभियुक्त की पत्नी मीरा कमरे में सो रही थी तभी अभियुक्त ने अपने मां-बाप के सहयोग से दिनांक 23-05-1998 को समय 05-30 बजे मीरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर, जलाकर दहेज के लिए मार डाला। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-428/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए आई0पी0सी0 व 04 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अति0 सत्र एवं जिला न्यायाधीश, कक्ष संख्या'06, फैजाबाद द्वारा दिनांक 03-03-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 23-05-2006 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20-04-2016 तक 14 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के मां-बाप सहअभियुक्त है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पाठक पुत्र भोलानाथ पाठक की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। दहेज के लिए बन्दी ने अपने मां-बाप के सहयोग से दिनांक 23-05-1998 को समय 5-30 बजे कमरे में सो रही अपनी पत्नी मीरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर एवं जलाकर मार डाला। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपनी पत्नी मीरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर एवं निर्दयतापूर्वक जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 49 वर्ष लगभग है तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पाठक पुत्र श्री भोलानाथ पाठक, निवासी जनपद-फैजाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयप्रकाश पाठक (बन्दी संख्या-706/2010) पुत्र श्री भोलानाथ पाठक, निवासी जनपद-फैजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-110/2016/783(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-110/2016/783/22-2-2016-17(179)/2016

दिनांक 04 अगस्त, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सित्द्धदोष बन्दी जयप्रकाश पाठक (बन्दी संख्या-706/2010) पुत्र श्री भोलानाथ पाठक, ग्राम-सोनबरसा, थाना-इनायतनगर, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। अभियुक्त की पत्नी मीरा कमरे में सो रही थी तभी अभियुक्त ने अपने मां-बाप के सहयोग से दिनांक 23-05-1998 को समय 05-30 बजे मीरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर, जलाकर दहेज के लिए मार डाला। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-428/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए आई0पी0सी0 व 04 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अति0 सत्र एवं जिला न्यायाधीश, कक्ष संख्या'06, फैजाबाद द्वारा दिनांक 03-03-2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 23-05-2006 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20-04-2016 तक 14 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के मां-बाप सहअभियुक्त है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पाठक पुत्र भोलानाथ पाठक की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। दहेज के लिए बन्दी ने अपने मां-बाप के सहयोग से दिनांक 23-05-1998 को समय 5-30 बजे कमरे में सो रही अपनी पत्नी मीरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर एवं जलाकर मार डाला। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपनी पत्नी मीरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर एवं निर्दयतापूर्वक जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 49 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयप्रकाश पाठक पुत्र श्री भोलानाथ पाठक, निवासी जनपद-फैजाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in